२४/१०/२५

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थिया उपस्थित। प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट के तहत प्रस्तुत कर ग्राम सेंदवाना पटवार मण्डल [illegible] तहसील [illegible] के खाता संख्या 207 में वर्णित आराजी नम्बर 531 रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थिया के पिता के नाम गेरा पिता का खातेदार होने से [illegible] इन्द्राज रिया आराजी में खोला गया। जबकि गेरा पिता काळू की जगह पर गेरा पिता बालू दर्ज हो गया है जबकि अन्य दस्तावेजों में गेरा पिता काळू दर्ज है जिसको शुद्ध करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज कर [illegible] भूमि धारी तहसीलदार डूंगला से जवाब प्राप्त किया गया। तहसीलदार डूंगला से उनके पत्र क्रमांक /राजस्व/2025/669 दिनांक 16-10-25 के द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत कराया गया कि ग्राम सेंदवाना की जमाबन्दी संवत 2053-56 के खाता सं. 0154 किता आराजी 1 रकबा 0.0324 हे. भूमि गेरा पिता काळू कुम्हार सा. देह के नाम दर्ज था, परन्तु तरमीम जमाबन्दी 2057-60 के अन्तर्गत संवत में खाता सं. 56 किता-1 रकबा 0.0324 हे. भूमि में खातेदार गेरा पिता काळू कुम्हार के बजाय गेरा पिता बालू कुम्हार दर्ज हो गया जो अद्यतन तक चला आ रहा है रिकार्ड के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी संवत 2073-76 में वर्णित खाता संख्या 207 में वर्णित आराजी आराजी नम्बर 531 में दर्ज गेरा पिता बालू के बजाय गेरा पिता काळू कुम्हार शुद्ध दर्ज किये जाने की अनुशंसा की गई है। तहसीलदार डूंगला से प्राप्त रिपोर्ट व पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेज एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन पश्चात पाया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है। ग्राम सेंदवाना के खाता सं. 207 में वर्णित आराजी नम्बर 531 में दर्ज अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध गेरा पिता काळू दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया [illegible] है। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.01.20 17:31:02 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]
डूंगला
जिला-चित्तौड़गढ़